MPSE-011

राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम (MPS) / राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर कला उपाधि (एक वर्षीय कार्यक्रम) (MAPSOY)

सत्रीय कार्य 2026-27

(द्वितीय वर्ष /द्वितीय सेमेस्टर)

MPSE-011: विश्व मामलों में यूरोपीय संघ

राजनीति विज्ञान संकाय

सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-68

एम.ए. (राजनीति विज्ञान)

प्रिय शिक्षार्थी,

जैसा कि कार्यक्रम मार्गदर्शिका में बताया गया है, राजनीति विज्ञान के प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए आपको एक ट्यूटर मूल्यांकित असाइनमेंट (Tutor Marked Assignment) पूरा करना होगा। इस पुस्तिका में राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (MPS) के द्वितीय वर्ष के वैकल्पिक पाठ्यक्रम तथा एक वर्षीय कला स्नातकोत्तर (राजनीति विज्ञान) कार्यक्रम (MAPSOY) के द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के असाइनमेंट शामिल हैं।

सत्रांत परीक्षा में बैठने की पात्रता के लिए आपको सभी सत्रीय कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर जमा करने होंगे। सत्रीय कार्य आरंभ करने से पहले कृपया कार्यक्रम निर्देशिका में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

यह आवश्यक है कि आप उत्तर अपने शब्दों में लिखें। आपके उत्तर संबंधित भाग के लिए निर्धारित शब्द-सीमा के आसपास होने चाहिए। याद रखें, सत्रीय कार्यों के प्रश्नों के उत्तर लिखने से आपका लेखन कौशल सुधरेगा और आप सत्रांत परीक्षा के लिए तैयार होंगे।

इन सत्रीय कार्यों सहित सभी सत्रीय कार्य आपके अध्ययन केंद्र के समन्वयक के पास जमा किए जाने हैं। जमा किए गए सत्रीय कार्यों की रसीद अध्ययन केंद्र से अवश्य प्राप्त करें और उसे सुरक्षित रखें। यदि संभव हो, तो सत्रीय कार्यों की एक फोटोकॉपी अपने पास रखें।

मूल्यांकन के बाद अध्ययन केंद्र को आपके सत्रीय कार्य आपको लौटाने होंगे। कृपया इसके लिए आग्रह करें। अध्ययन केंद्र प्रत्येक सत्रीय कार्य के लिए प्रदत्त अंक दर्ज करेगा और उन्हें इग्नू, नई दिल्ली स्थित छात्र मूल्यांकन प्रभाग (SED) को भेजेगा।

जमा करना:

पूर्ण किए गए सत्रीय कार्य निम्नलिखित समय-सारणी के अनुसार जमा किए जाने चाहिए।

सत्र	**जमा करने की अंतिम तिथि**	**किसे जमा करें**
जुलाई 2026 सत्र के लिए **जनवरी 2027 सत्र के लिए**	**31 मार्च, 2027** **30 सितंबर, 2027**	**आपको आवंटित अध्ययन केंद्र के समन्वयक**

शुभकामनाओं सहित,

राजनीति विज्ञान संकाय

MPSE-011: विश्व मामलों में यूरोपीय संघ

(शिक्षक जाँच सत्रीय कार्य)

पाठ्यक्रम कोड: MPS-011

सत्रीय कार्य कोड: MPS-004/ASST/TMA/2026-27

पूर्णांक: 100

नोट: प्रत्येक भाग से कम-से-कम दो प्रश्न चुनते हुए कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है।

भाग – I

1. नव-प्रकार्यवाद (Neo-Functionalism) और अंतरसरकारवाद (Intergovernmentalism) की तुलना कीजिए। यूरोपीय एकीकरण की असमान गति की बेहतर व्याख्या कौन करता है, और दोनों कहाँ अपर्याप्त सिद्ध होते हैं?

2. यूरोपीय आयोग और यूरोपीय संसद की संरचना एवं कार्यों का परीक्षण कीजिए। यूरोपीय संसद की बढ़ती भूमिका ने यूरोपीय संघ के 'लोकतांत्रिक घाटे' (Democratic Deficit) को किस सीमा तक दूर किया है?

3. योग्य बहुमत मतदान (Qualified Majority Voting) के विस्तार और 'दोहरे बहुमत' (Double Majority) नियम के साथ-साथ परामर्श (Consultation) और सहयोग (Cooperation) प्रक्रियाओं से सह-निर्णय (Co-decision) की ओर हुए परिवर्तन की व्याख्या कीजिए।

4. आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए कि मास्ट्रिख्ट, एम्स्टर्डम और नीस संधियों ने यूरोपीय संघ को किस सीमा तक सुदृढ़ एवं गहन बनाया।

5. यूरोपीय एकीकरण के प्रति जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के दृष्टिकोणों की तुलना कीजिए। इतिहास, राष्ट्रीय पहचान और घरेलू राजनीति ने प्रत्येक के रुख को किस प्रकार आकार दिया है?

भाग – II

6. आर्थिक एवं मौद्रिक संघ (EMU) के चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। क्या एकल मुद्रा के लाभ राष्ट्रीय मौद्रिक नीति की हानि से अधिक हैं? यूरोपीय केंद्रीय बैंक तथा स्थिरता एवं विकास समझौते (Stability and Growth Pact) के संदर्भ में उत्तर दीजिए।

7. आर्थिक नीति की तुलना में विदेश एवं सुरक्षा नीति का एकीकरण अधिक कठिन क्यों सिद्ध हुआ है?

8. व्यापार, निवेश और विकास सहयोग के संदर्भ में भारत-यूरोपीय संघ संबंधों की प्रकृति, सीमाओं और संभावनाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

9. आसियान (ASEAN), एशिया-यूरोप बैठक (ASEM) और सार्क (SAARC) के साथ यूरोपीय संघ के संबंधों के संदर्भ में यूरोप और दक्षिण एशिया में क्षेत्रवाद (Regionalism) का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए।

10. निम्नलिखित पर लगभग 250-250 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए:

क) यूरोपीय संघ की साझा कृषि नीति (Common Agricultural Policy)

ख) चेक्किनी रिपोर्ट और एकल यूरोपीय अधिनियम (Single European Act), 1987